ए.

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड।

बनाम

असम राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. 2019 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 786-787

बी.

में।

(2016 की सिविल अपील संख्या 8442-8443) 18 दिसंबर, 2019

[अशोक भूषण**,** एस**.** अब्दुल नजीर और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

सी.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 47 आर।1 – पुनरीक्षण याचिका-अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि-तथ्यों पर, पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर कि इस न्यायालय के निर्णय में एक स्पष्ट त्रुटि है कि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मुकदमा समय द्वारा वर्जित था-याची का मामला कि याची द्वारा प्राप्त मूल राशि पर ब्याज से संबंधित धन मुकदमे में, अंतिम आपूर्ति 04.10.93 पर पूरी की गई थी, लेकिन अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर किया गया था, s के आधार पर 05.03.1994 से सीमा की एक नई अवधि शुरू होगी।19 सीमा अधिनियम-आयोजितःछूट यू/एस. एस. प्रदान की गई है।4 सीमा अधिनियम के 20 तक, कुछ तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं-तथ्यों पर, वाद के अवलोकन से संकेत मिलता है कि धाराओं के अनुसार सीमा की किसी भी नई अवधि को चलाकर सीमा के अपवाद के रूप में कोई अभिवचन नहीं है।19 – प्रतिवादियों के लिए एस के संदर्भ में कोई जवाब देने का कोई अवसर नहीं था।19 – इसके अलावा, परंतुक 7 आर का परंतुक।6 वादी के बचाव में नहीं आ सकता है क्योंकि वादी ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि अधिनियम, 1993 का प्रबल प्रभाव है-इसके अलावा, मुकदमे के लिए कार्रवाई के कारण के पैराग्राफ में, कार्रवाई के कारण का दावा उस तारीख से नहीं किया गया है जब याची द्वारा अंतिम भुगतान प्राप्त किया गया था-शिकायत में याची ने स्पष्ट रूप से एस के लाभ के लिए अनुरोध नहीं किया है।19 न ही न्यायालय को एस

के तहत दावे पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक तथ्य लाए हैं।19 – इस प्रकार, याची एस के लाभ का हकदार नहीं है।19 और इस न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित करते हुए कोई त्रुटि नहीं है कि वादी का मुकदमा समय द्वारा वर्जित था-इसके अलावा, एस का लाभ।14 सीमा का

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

252 ए.

253

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.असम राज्य विद्युत बोर्ड ए

वादी द्वारा अधिनियम का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिट याचिका, जो एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, अलग-अलग संस्थाओं द्वारा दायर की गई थी।14 इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विशेष रूप से विचार और अस्वीकार किया गया था, इस प्रकार, उक्त आधार पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है-सीमा अधिनियम, 1963-एस. एस.19, 14 – लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993।

बी.

आदेश 47 आर।1 – पुनरीक्षण याचिकाएँ-अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि-तथ्यों पर, लघु उद्योगों को विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित मामले-इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका कि इस न्यायालय के अवलोकन में अभिलेख के सामने त्रुटि थी-1993 के अधिनियम-23.09.1992 के प्रारंभ से पहले की गई कुछ आपूर्ति और 23.09.1992 के बाद की गई कुछ आपूर्ति-1993 के अधिनियम के तहत ब्याज के लाभ के लिए याची की पात्रता-आयोजितःवादी द्वारा सामग्री की आपूर्ति के लिए भुगतान के लिए बिल की तारीख 29.09.1992 थी-इस न्यायालय ने अपने फैसले में ठीक ही कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कोई आपूर्ति की गई थी ताकि अपीलार्थी ब्याज का दावा कर सके।3 एस सहपठित ।4 इस प्रकार, 1993 के अधिनियम के उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-यह निवेदन कि अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि है, खारिज कर दिया जाता है और समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है-लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993।

सी.

डी.

ई.

आदेश 47 आर।1 – पुनरीक्षण याचिका-अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि-इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका कि इस न्यायालय ने अपील को विचारणीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया जो अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि है-अभिनिर्धारित किया गयाःइस न्यायालय ने अपील की स्थिरता पर विचार किया और याची के खिलाफ पाया, इस प्रकार, याचिका की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है।

एफ.

आदेश 47 आर।1 – पुनरीक्षण याचिका-आयोजित करने का क्षेत्रःसमीक्षा का दायरा सीमित है-समीक्षा की आड़ में, याची को उन प्रश्नों को फिर से हल करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है।

जी.

ऑर्डर 7 आर।6 – सीमा कानून से छूट का आधार-लागू होना-आयोजितःजब सीमा कानून द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मुकदमा दायर किया जाता है, तो वाद को वह आधार दिखाना चाहिए जिस पर ऐसे कानून से छूट का दावा किया जाता है-हालांकि,

एच.

न्यायालय वादी को किसी भी आधार पर सीमा कानून से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकता है जो वाद में निर्धारित नहीं है, यदि ऐसा आधार वाद में निर्धारित आधारों के साथ असंगत नहीं है।

सीमा अधिनियम, 1963:धारा 19-आयोजित का लाभःधारा 19 सीमा की एक नई अवधि प्रदान करती है-एस के तहत लाभ।19 यह तब उपलब्ध होता है जब ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है और भुगतान की पावती भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर में या हस्ताक्षरित लेखन में दिखाई देती है।

बी.

सी.

पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहाः

2019 की समीक्षा याचिका **(**सी**)** संख्या **786-787**

1.1 सीमा अधिनियम**, 1963** की धारा **3** यह स्पष्ट करती है कि यदि निर्धारित अवधि के बाद कोई मुकदमा दायर किया जाता है**,** तो इसे खारिज कर दिया जाएगा**,** हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।न्यायालय कानून के आदेश से मुकदमे को खारिज करने के लिए बाध्य है**,** जो सीमा से परे दायर किया जाता है**,** भले ही उस प्रभाव के लिए कोई अभिवचन या तर्क नहीं उठाए जाते हैं।धारा **4** से **20** के प्रावधान अपवाद हैं जब अनुसूची में निर्धारित सीमा की अवधि से परे के मुकदमे को धारा **3** द्वारा आवश्यक रूप से खारिज नहीं किया जाएगा।आदेश **VII** नियम **6** सी**.** पी**.** सी**.** इन शब्दों का उपयोग करता है **"**शिकायत उस आधार को दिखाएगी जिस पर ऐसे कानून से छूट का दावा किया जाता है।**"**सीमा अधिनियम**, 1963** की धारा **4** से **20** के तहत दी गई छूट कुछ तथ्यों और घटनाओं पर आधारित है।धारा **19** सीमा की एक नई अवधि प्रदान करती है**,** जो कुछ तथ्यों पर आधारित है**,** अर्थात**,** क्या ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है**,** चाहे भुगतान की पावती भुगतान करने वाले व्यक्ति की लिखावट में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में दिखाई दे।**[**पैरा **11** और **12] [263-**सी**-**डी**;** जी**-**एच**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.2 वाद के अवलोकन से संकेत मिलता है कि धारा **19** के अनुसार सीमा की किसी भी नई अवधि को चलाकर सीमा के अपवाद के रूप में कोई अभिवचन नहीं है।डिलीवरी चालानों का विवरण दिया गया है**,** अंतिम चालान का दिनांक **04.10.1993** ए है

एच.

255

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.असम राज्य विद्युत बोर्ड ए

जिसके द्वारा आपूर्ति की गई थी**,** उसका उल्लेख किया गया है।प्राप्त भुगतानों के विवरण का भी उल्लेख किया गया है**,** जिसमें **05.03.1994** पर अंतिम भुगतान का उल्लेख किया गया है**,** लेकिन **05.03.1994** पर किए गए अंतिम भुगतान के लिए**,** उत्तरदाताओं की ओर से पावती का कोई अनुरोध नहीं किया गया था**,** जिसके परिणामस्वरूप सीमा की नई अवधि शुरू हो सकती है।इसके अलावा**,** यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि अधिनियम**, 1993** में निहित प्रावधानों को देखते हुए सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि

अधिनियम**, 1993** का सीमा अधिनियम और अन्य सभी अधिनियमों पर प्रबल प्रभाव है।वादी द्वारा सीमा की किसी भी नई अवधि की शुरुआत का दावा करने वाला कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं होने के कारण**,** प्रतिवादियों के लिए धारा **19** के संदर्भ में कोई जवाब देने का कोई अवसर नहीं था।**[**पैरा **13,14] [265-**सी**-**ई**; 266-**ए**]**

बी.

सी.

1.3 1976 के अधिनियम **104** द्वारा जोड़े गए आदेश **VII** नियम **6** के परंतुक में यह परंतुक किया गया है कि न्यायालय वादी को किसी भी आधार पर सीमा कानून से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकता है जो वाद में निर्धारित नहीं है**,** यदि ऐसा आधार वाद में निर्धारित आधारों के साथ असंगत नहीं है।आदेश **VII** नियम **6** का परंतुक वादी के बचाव में नहीं आ सकता है**,** वादी ने विशेष रूप से पैराग्राफ **21** में अनुरोध किया है कि सीमा अधिनियम के परंतुक लागू नहीं हैं क्योंकि अधिनियम**, 1993** का प्रबल प्रभाव है।निचली विचारण न्यायालय ने वादी के मुकदमे का आदेश देते हुए निवेदन को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि सीमा अधिनियम**, 1963** लागू नहीं होता है।**[**पैरा **18] [269-**जी**-**एच**]**

डी.

ई.

1.4 वाद का अनुच्छेद **24,** जो वाद के लिए कार्रवाई के कारण का एक अनुच्छेद है**,** जो **31.03.1992** से **05.10.1993** तक की तारीख को संदर्भित करता है**,** यानी**,** पहले आपूर्ति आदेश की शुरुआत यानी **31.03.1992** और अंतिम आपूर्ति आदेश की तारीख**,** यानी **05.10.1993,** लेकिन कार्रवाई के कारण का दावा उस तारीख से नहीं किया जाता है जब **05.03.1994** थी**,** जो उस तारीख थी जब याची द्वारा अंतिम भुगतान प्राप्त किया गया था।शिकायत में याची ने स्पष्ट रूप से धारा **19** के लाभ के लिए अनुरोध नहीं किया है और न ही न्यायालय को धारा **19** के तहत दावे पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक तथ्य लाए हैं।इस प्रकार**,** याची सीमा अधिनियम की धारा **19** के लाभ का हकदार नहीं है और इस न्यायालय के दिनांकित **23.01.2019** के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है**,** जिसमें कहा गया है कि वादी का मुकदमा समय द्वारा वर्जित था।**[**पैरा **19] [270-**ए**-**सी**]**

एफ.

जी.

एच.

1.5 सीमा अधिनियम की धारा **14** के उस लाभ का दावा वादी द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिट याचिका**,** जो एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी**,** अलग इकाई द्वारा दायर की गई थी।धारा **14** के लाभ के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक **1** के अपने निर्णय में विशेष रूप से विचार और अस्वीकार किए जाने के बाद**,** उक्त आधार पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।इसके अलावा**,** तत्काल एक ऐसा मामला है जहां एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका को **28.08.1997** पर वादी द्वारा **10.01.1997** पर मुकदमा दायर करने के बाद खारिज कर दिया गया था।इसके अलावा**, 28.08.1997** एसोसिएशन पर एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद उक्त फैसले को चुनौती देते हुए एक रिट अपील दायर की गई**,** जो तथ्य सीमा अधिनियम की धारा **14** के लाभ को बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने से भी रोकते हैं। **[**पैरा **20] [270-**डी**-**ई**]**

बी.

सी.

1.6 जहां तक अन्य प्रस्तुतियों का संबंध है कि अधिनियम**, 1993** पूर्वव्यापी प्रकृति का है और अधिनियम के प्रारंभ के समय देय अतिरिक्त राशि पर अधिनियम**, 1993** का ब्याज आकर्षित करना चाहिए**,** इन सभी प्रस्तुतियों पर दिनांकित **23.01.2019** निर्णय में विस्तृत रूप से विचार किया गया है**,** जिन पर गुण**-**दोष के आधार पर विचार किया गया है।समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में**,** याची को उन प्रश्नों को फिर से हल करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है**,** जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है।इस प्रकार**, 2019** की पुनरीक्षण याचिका **(**ग**)** संख्या **786-787** में कोई योग्यता नहीं है।**[**पैरा **21,22] [270-**एफ**-**जी**; 271-**सी**]**

डी.

ई.

2019 की समीक्षा याचिका **(**सी**) No.789**

2. निर्णय में दिए गए चार्ट का अवलोकन इंगित करता है कि तारीख **29.09.1992** वादी द्वारा सामग्री की आपूर्ति के लिए भुगतान के लिए बिल की तारीख है।आई**.** डी**. 1** दिनांकित निर्णय में**,** यह देखा गया कि **"**इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कोई आपूर्ति की गई थी ताकि अपीलार्थी को अधिनियम**, 1993** की धारा **4** सहपठित धारा **3** के तहत ब्याज का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके**,** उच्च न्यायालय के फैसले को इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।**"**इस प्रकार**,** अपीलार्थी के वकील के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है कि निर्णय के पैराग्राफ **85** में किए गए न्यायालय के अवलोकन में रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि है**,** उक्त प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार कर दिया जाता है।**[**पैरा **24,25] [272-D-E] A**

एफ.

जी.

एच.

257

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.असम राज्य विद्युत बोर्ड ए

2019 की समीक्षा याचिका **(**सी**) No.788**

3.1 आई**.** डी**. 1** दिनांकित निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि जिन आधारों पर याची ने पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता की प्रार्थना की थी**,** वे पुनर्विचार याचिका में साबित नहीं हुए थे।उच्च न्यायालय ने समीक्षा निर्णय में याची के पक्ष में यह नहीं माना कि वह अधिनियम**, 1993** के लाभ का हकदार था**,** बल्कि उच्च न्यायालय ने याची की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वादी को धारा **34** सी**.** पी**.** सी**.,** माल बिक्री अधिनियम**, 1930** की धारा **61** या ब्याज अधिनियम**, 1978** की धारा **3** के तहत या केवल मूल राशि के आधार पर इक्विटी में दावा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय ने **9** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया।**2016** की सिविल अपील संख्या **8445** समीक्षा निर्णय के खिलाफ दायर की गई है लेकिन जाहिर है कि अपील याची को दिए गए **9** प्रतिशत ब्याज के खिलाफ नहीं है।पुनरीक्षण निर्णय अधिनियम**, 1993** के तहत ब्याज प्रदान नहीं करता है क्योंकि पुनरीक्षण निर्णय में उच्च न्यायालय ने पहले के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया कि याची अधिनियम**, 1993** के तहत लाभ का हकदार नहीं है।जिस आधार पर स्वतंत्रता मांगी गई थी**,** उस आधार पर समीक्षा को उच्च न्यायालय ने अपने समीक्षा निर्णय में स्वीकार नहीं किया था।इसके अलावा**,** दिनांक **23.01.2019** के फैसले में**,** याची के खिलाफ अपील की स्थिरता पर विचार किया गया और पाया गया**,** याचिका की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है।**[**पैरा **28] [273-**ई**-**एच**; 274-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

संत लाल महटन बनाम कमला प्रसाद और अन्य**,** आकाशवाणी

1951 एससी 477:[1952] एससीआर 116; जीवनलाल आचार्य

बनाम रामेश्वरलाल अग्रवाल**,** ए**.** आई**.** आर**. 1967** एस**.** सी**. 1118;** कमला देवी और अन्य बनाम पं**.** मणि लाल तिवारी और अन्य**, (1976) 4** एस**.** सी**.** सी**. 818;** पारसन

देवी और अन्य बनाम सुमितरी देवी और अन्य**, (1997) 8** एस**.** सी**.** सी**. 715: [1997]**

एफ.

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 470-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

जी.

[1952] एससीआर **116**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

आकाशवाणी **1967** एससी **1118**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

(1976) 4 एस**.** सी**.** सी**. 818**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[1997] 4 पूरक।पैरा **21** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 470**

एच.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2016 की सिविल अपील संख्या 8442-8443 में 2019 की याचिका (सिविल) संख्या 786-787 की समीक्षा करें।2016 के सिविल अपील Nos.8442-8443 में पारित 23.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के साथ

बी.

2019 की पुनरीक्षण याचिका (सी) संख्या 789,788।

अभिषेक मनु सिंघवी, अजीत कुमार सिन्हा, बसव एस. प्रभु पाटिल, विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्तागण , देवाशीष भरुका, रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री सृष्टि अग्रवाल, नरेंद्र एम. शर्मा, सिद्धार्थ जैन, आदित्य सिंह, चिनमय देश पांडे, गीत आहूजा, रचिता एच., राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री स्नेहा कालिता, अर्धेंदुमौली प्रसाद, संजीव कुमार सिंह, शिघरा कुमार, राजलक्ष्मी सिंह, सुश्री स्नेहा कालिता, अवनीश पांडे, अभिनव हंसारिया, सुश्री तरुणा ए. प्रसाद, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण**,** जे।

1. ये समीक्षा याचिकाएं 2016 की सिविल अपील संख्या 8442-8443,2016 की सिविल अपील No.8450 और 2016 की सिविल अपील No.8445 में पारित सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा सभी सिविल अपीलों को खारिज कर दिया गया था, इन आवेदनों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं में अलग-अलग आधार उठाए गए हैं, जिन पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है।

ई.

2019 की समीक्षा याचिका **(**सी**)** संख्या **786-787**

एफ.

2. पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए आधारों पर विचार करने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.1 असम राज्य विद्युत बोर्ड, प्रत्यर्थी ने याची को एल्यूमीनियम विद्युत चालकों की आपूर्ति के लिए दिनांक 31.03.1992 और 13.05.1992 पर दो आपूर्ति आदेश जारी किए हैं।याची ने जून, 1992 से 04.10.1993 तक उपरोक्त आपूर्ति आदेशों के अनुसरण में आपूर्ति पूरी की।भारत के राष्ट्रपति ने लघु उद्योगों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान और विनियमन करने के लिए 23.09.1992 पर एक अध्यादेश जारी किया जिसका नाम है "लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अध्यादेश", जो

जी.

एच.

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

बाद में यह अधिनियम बन गया जिसका नाम था "लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 (जिसे इसके बाद" अधिनियम, 1993 "के रूप में संदर्भित किया गया है)"।

2.2 असम कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा अपने पांच सदस्यों की ओर से 1993 की एक रिट याचिका (सी) संख्या 1351 दायर की गई थी, जिसमें मेसर्स शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल था, ताकि वह अपने बकाया की वसूली कर सके और भुगतान की मांग कर सके।गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 21.07.1993 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के बकाया बिलों के साथ समझौता कर सकते हैं।प्रत्यर्थी ने लगभग राशि का भुगतान किया।रु. याची को किश्तों में 2.15 करोड़ रुपये और भुगतान की अंतिम किश्त 05.03.1994 पर की जा रही है।याची द्वारा 1997 का मनी सूट No.21 गुवाहाटी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नंबर 1 के न्यायालय में 10.01.1997 पर Rs.53,68,492.56 के डिक्री के लिए केवल मूल राशि के भुगतान पर ब्याज के लिए दायर किया गया था, जो याची को पहले ही प्राप्त हो चुका था।

बी.

सी.

डी.

2.3 28.08.1997 पर, 1993 की रिट याचिका (C) No.1351 को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि रिट याची अपने बकाया की वसूली के लिए सिविल न्यायालय जा सकता है।

2.4 निचली विचारण न्यायालय ने 02.02.2000 पर याची के धन के मुकदमे को मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर भविष्य के ब्याज @23.75% के साथ Rs.51,60,507.42 के लिए तय किया।2000 का आर. एफ. ए. No.66 याची द्वारा निचली विचारण न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था।खंड पीठ ने अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं का जवाब देने के लिए पूर्ण पीठ का संदर्भ दिया।तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 05.03.2002 पर संदर्भ का जवाब दिया।प्रत्यर्थी ने 2002 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 24577 दायर की, जिसे बाद में 2003 की सिविल अपील में परिवर्तित कर दिया गया।इस न्यायालय ने 10.07.2012 पर 2003 की सिविल अपील No.2351 [M/s] को खारिज कर दिया। असम राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मेसर्स।2003 की एक अन्य सिविल अपील No.2348 के साथ [एम/एस।पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। असम राज्य विद्युत बोर्ड]।उपरोक्त दीवानी अपीलों को खारिज करने के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादियों द्वारा दायर 2000 के आर. एफ. ए. No.66 को अनुमति दी और याची के मुकदमे

को खारिज कर दिया।2.5 डिवीजन बेंच के दिनांक 20.11.2012 के फैसले के खिलाफ, 2016 की सिविल अपील Nos.8442-8443 अपील में याची मेसर्स शांति कंडक्टर्स (पी) लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।दो फैसले थे

ई.

एफ.

जी.

एच.

दो अलग-अलग राय के साथ दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिया गया, जो निर्णय (2016) 16 एस. सी. सी. पृष्ठ 13 में बताया गया है।मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया, जिसने सभी अपीलों पर सुनवाई की और अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से अपीलों को खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे में, एक सवाल, जो तैयार किया गया था, वह था "क्या अपीलार्थियों द्वारा दायर मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है?” आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय के पैराग्राफ 27 में, इन अपीलों में उत्पन्न सात प्रश्नों पर ध्यान दिया गया है।अंक संख्या 3 में कहा गया था, "क्या मैसर्स शांति कंडक्टरों द्वारा धन के मुकदमे को सीमित किया गया था?

बी.

सी.

4. अंक संख्या 3 को पैराग्राफ 59 से 76 तक निपटाया गया है और हमने पैराग्राफ 76 में निष्कर्ष निकाला है कि मैसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे को समय से रोक दिया गया था।

5. याची की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत विद्वान कि यह अभिनिर्धारित करने में कि मुकदमा समय द्वारा वर्जित था, दिनांकित 23.01.2019 निर्णय में एक स्पष्ट त्रुटि है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्वीकृत तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर था और मुकदमा तीन साल के भीतर दायर किया गया था, यानी 10.01.1997 पर समय के भीतर दायर किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतिम आपूर्ति 04.10.1993 पर पूरी की गई थी और भले ही 04.10.1993

से तीन साल की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा 05.03.1994 पर भुगतान किया गया था, याची को सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 के अनुसार सीमा की एक नई अवधि उपलब्ध होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याची की ओर से प्रस्तुत लिखित निवेदन में, धारा 19 पर निर्भरता रखी गई थी और आगे (2016) 15 एस. सी. सी. 13 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के पहले के फैसले में, पैराग्राफ 53 में, न्यायमूर्ति गौड़ा ने धारा 13 पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में सीमा के प्रश्न का उत्तर दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 19 सीमा के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस न्यायालय के नोटिस से बच गई, जो कि एक स्पष्ट त्रुटि है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि मुकदमा समय के भीतर था।डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि याची भी सीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ के हकदार थे क्योंकि असम कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय में 1993 की रिट याचिका संख्या 1351 दायर की गई थी, जिसमें याची उन सदस्यों में से एक था, जिसे 28.08.1997 पर खारिज कर दिया गया था, जिस अवधि के दौरान रिट याचिका पर विचार किया जाना था, उसे ए की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

261

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.एएसएसएएम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

याची द्वारा दायर धन वाद के लिए सीमा।डॉ. सिंघवी प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि विवादित निर्णय में, इस न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत समय के अपवर्जन के याची के दावे पर विचार किया है, लेकिन इस आधार पर लाभ को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था कि रिट याचिका असम कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जो याची से अलग इकाई है।वह प्रस्तुत करता है कि उक्त दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है।समीक्षा याचिका में, सीमा की प्रस्तुतियों के अलावा, कई अन्य आधारों को मुद्दों पर छूने का आग्रह किया गया है, जिन पर विचार किया गया है और दिनांक 23.01.2019 के फैसले में निर्णय लिया गया है।उन्होंने यह तर्क देना चाहा कि अधिनियम, 1993 पूर्वव्यापी है और अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी भी बकाया राशि पर अधिनियम,

1993 के तहत ब्याज आकर्षित होना चाहिए। 6.प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया ने याची की दलीलों का खंडन विद्वान और कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।मुक़दमे की सीमा के सवाल पर विशेष रूप से विचार किया गया है और इस न्यायालय ने माना है कि मुक़दमा समय द्वारा वर्जित है।धारा 14 के बल पर की गई दलीलों पर विशेष रूप से विचार किया गया है और उन्हें खारिज कर दिया गया है।याची सीमा अधिनियम की धारा 14 के किसी भी लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि धारा 14 कार्यवाही के समय को हटाने पर विचार करती है, जिस पर वादी उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है।वह प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन मुकदमे में वादी मेसर्स शांति कंडक्टर हैं, जबकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में याची एसोसिएशन था, जो एक अलग इकाई है और यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमे का वादी वही इकाई थी, जिसने रिट याचिका दायर की थी।श्री हंसारिया आगे प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका को खारिज करने के खिलाफ, एसोसिएशन द्वारा एक रिट अपील दायर की गई थी, जिसे रिट अपील को भी बाद में डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे याची द्वारा छिपाया गया है।जब विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, तो पहले की कार्यवाही पर प्रामाणिक रूप से मुकदमा चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।श्री हंसारिया ने आगे कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 19 के तहत लाभ लेने के लिए मुकदमे में विशिष्ट अभिवचन और सबूत होना चाहिए।वादी ने न तो धारा 19 के तहत लाभ का दावा करने के लिए कोई आधार मांगा है और न ही मुकदमे में इसे साबित किया है, इसलिए धारा 19 का लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि सीमा अधिनियम की धारा 19 का लाभ उठाने के लिए, भुगतान की स्वीकृति होनी चाहिए, जो एक तथ्य का प्रश्न है जिसे वादी द्वारा अनुरोध और साबित किया जाना आवश्यक है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

7. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें प्रस्तुतियों पर विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

8. हम पहले सीमा अधिनियम की धारा 19 पर याची द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि, मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान, सीमा अधिनियम की धारा 19 पर कोई तर्क नहीं उठाया गया था, लेकिन मुकदमे की सीमा का सवाल होने के कारण, हमने विद्वान अधिवक्ता को पक्षों को अपनी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

बी.

9. सीमा अधिनियम की धारा 19 इस प्रकार हैः-

“19. ऋण या ब्याज के कारण भुगतान का प्रभाव

सी.

विरासत।—जहां किसी ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या इस संबंध में विधिवत अधिकृत उसके एजेंट द्वारा किया जाता है, तो उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब भुगतान किया गया थाः

डी.

बशर्ते कि 1 जनवरी, 1928 से पहले किए गए ब्याज के भुगतान के मामले को छोड़कर, भुगतान करने वाले व्यक्ति की लिखावट में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में भुगतान की पावती दिखाई देती है।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए-(क) जहां गिरवी भूमि गिरवीदार के कब्जे में है, ऐसी भूमि के किराए या उपज की प्राप्ति को भुगतान माना जाएगा।

ई.

(ख) "ऋण" में न्यायालय की डिक्री या आदेश के तहत देय धन शामिल नहीं है।”

एफ.

10. दिनांक 1 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याची द्वारा दायर मुकदमे की सीमा सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 113 द्वारा शासित होगी, जो उस तारीख से तीन साल है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।फैसले के पैराग्राफ 71 में, यह माना गया है कि अंतिम आपूर्ति 04.10.1993 पर पूरी की गई थी, इस प्रकार, राशि 04.11.1993 पर देय हो गई और तीन साल की अवधि 04.11.1993 से चलने लगेगी और दायर किया गया मुकदमा तीन साल से अधिक का था।धारा 19 के बल पर याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि अंतिम भुगतान 05.03.1994 पर किया गया था, इसलिए सीमा की एक नई अवधि नई

तारीख से शुरू होगी, यानी 05.03.1994 और 10.01.1997 पर दायर किया गया मुकदमा अच्छी तरह से A था।

जी.

एच.

263

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.एएसएसएएम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

समय के भीतर।सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 सीमा प्रतिबंध से संबंधित है।धारा 3 (1) इस प्रकार हैः-

“3. बार ऑफ लिमिटेशन।—(1) धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारित अवधि के बाद किए गए प्रत्येक वाद, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।XXXXXXXXXXX "

बी.

11. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि यदि निर्धारित अवधि के बाद कोई मुकदमा दायर किया जाता है, तो इसे खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि बचाव के रूप में सीमा निर्धारित नहीं की गई है।न्यायालय कानून के आदेश से मुकदमे को खारिज करने के लिए बाध्य है, जो सीमा से परे दायर किया जाता है, भले ही उस प्रभाव के लिए कोई अभिवचन या तर्क नहीं उठाए जाते हैं। धारा 4 से 20 के प्रावधान अपवाद हैं जब अनुसूची में निर्धारित सीमा की अवधि से परे के मुकदमे को धारा 3 द्वारा आवश्यक रूप से खारिज नहीं किया जाएगा।इस संदर्भ में, हमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 6 का उल्लेख करने की आवश्यकता है।आदेश VII वाद से संबंधित है।आदेश VII नियम 6 में "सीमा कानून से छूट के आधार" शीर्षक है।आदेश VII नियम 6 इस प्रकार हैः-

सी.

डी.

“6. सीमा कानून से छूट के आधार।- कहाँ का

परिसीमा कानून द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मुकदमा दायर किया जाता है, शिकायत वह आधार दिखाएगी जिस पर ऐसी कानून से छूट का दावा किया जाता हैः

ई.

बशर्ते कि न्यायालय वादी को किसी भी आधार पर सीमा कानून से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकता है जो वाद में निर्धारित नहीं है, यदि ऐसा आधार वाद में निर्धारित आधारों के साथ असंगत नहीं है।”

एफ.

12. आदेश VII नियम 6 में इन शब्दों का उपयोग किया गया है "शिकायत उस आधार को दिखाएगी जिस पर इस तरह के कानून से छूट का दावा किया जाता है।"सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 से 20 के तहत दी गई छूट कुछ तथ्यों और घटनाओं पर आधारित है।धारा 19, जिसके साथ हम संबंधित हैं, सीमा की एक नई अवधि का प्रावधान करती है, जो कुछ तथ्यों पर आधारित है, अर्थात, (i) ऋण या विरासत पर ब्याज के कारण भुगतान ऋण या विरासत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है या नहीं, (ii) भुगतान की स्वीकृति भुगतान करने वाले व्यक्ति की लिखावट में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेखन में दिखाई देती है।हम इस फैसले को देख सकते हैं

जी.

एच.

सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 20 से संबंधित न्यायालय, जो सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 को प्रस्तुत करने के समान था।संत लाल में

माह्टन बनाम कमला प्रसाद और अन्य, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 477, यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 20 के लागू होने के लिए, दो शर्तें आवश्यक थीं कि भुगतान सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और इसे या तो स्वयं दाता की लिखावट में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी प्रकार के लेखन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।इस न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 20 के तहत छूट के लाभ का दावा करने के लिए अभिवचन और सबूत होना चाहिए।पैराग्राफ 9 और 10 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

बी.

“9. यह स्पष्ट होगा, हम सोचते हैं, एस की भाषा से।20, सीमा अधिनियम, जिसके संचालन को आकर्षित करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैंःपहला, भुगतान सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और दूसरा, इसे या तो स्वयं दाता की लिखावट में या उसके द्वारा

हस्ताक्षरित किसी प्रकार के लेखन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।हम अधीनस्थ न्यायाधीश से सहमत हैं कि यह वह भुगतान है जो वास्तव में एस के तहत सीमा की अवधि को बढ़ाता है। 20, सीमा अधिनियम; लेकिन भुगतान को एक विशेष तरीके से साबित करना पड़ता है और नीति के कारण विधायिका भुगतान के एकमात्र प्रमाण के रूप में लिखित या हस्ताक्षरित पावती पर जोर देती है और मौखिक गवाही को शामिल नहीं करती है।जब तक, इसलिए, आवश्यक में पावती नहीं है, भुगतान अपने आप में कोई लाभ नहीं है।हालाँकि, अधीनस्थ न्यायाधीश यह अभिनिर्धारित करने में सही है कि जबकि धारा यह अपेक्षा करती है कि भुगतान सीमा की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि पावती भी उस अवधि के भीतर की जानी चाहिए।इस तरह से परंतुक की व्याख्या करना इसमें कुछ ऐसे परंतुक ों को शामिल करना होगा जो वहां नहीं होते हैं।यह भारत के लगभग सभी उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है और हमारे लिए यह एक उचित दृष्टिकोण प्रतीत होता है। मोइज़ुद्दीन बनाम नलिनी बाला ए. आई. आर. (24) 1937 काल 284:आई. एल. आर. (1937) 2 कैल. 137; लाल सिंह बनाम गुलाब राय 55 सभी 280, वेंकट सुब्बू बनाम अप्पू सुंदरम 17 मैड। 92, राम प्रसाद बनाम मोहन लाल ए. आई. आर. (10) 1923 नाग 117 और विश्वनाथ बनाम महादेव 57 बोम। 453.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

10. .....यदि वादी का कार्रवाई का अधिकार स्पष्ट रूप से सीमा के क़ानून के तहत वर्जित है, तो ओ. 7, आर. 6, सिविल पी. सी. वादी में विशेष रूप से सीमा अधिनियम द्वारा अनुमत छूट के आधारों को बताना उसका कर्तव्य बनाता है, जिस पर वह इसके संचालन को बाहर करने के लिए निर्भर है; और यदि वादी के पास ए

एच.

265

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.असम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

अपने वाद में उन तथ्यों का आरोप लगाया जाता है जो उसे छूट का अधिकार देते हैं, जाहिर है कि ये तथ्य उस समय या उससे पहले मौजूद होने चाहिए जब वाद दायर किया जाता है; जो

तथ्य वाद दायर करने के बाद अस्तित्व में आते हैं, उन्हें कार्रवाई के अधिकार को पुनर्जीवित करने में सहायता के लिए नहीं कहा जा सकता है जो वाद की तारीख में समाप्त हो गया था।एस के तहत छूट का दावा करना।20. सीमा अधिनियम वादी को यह आरोप लगाने और साबित करने की स्थिति में होना चाहिए कि न केवल ऋण पर ब्याज का भुगतान किया गया था या मूलधन का आंशिक भुगतान किया गया था, बल्कि यह कि इस तरह के भुगतान को उस धारा द्वारा विचारित तरीके से लिखित रूप में स्वीकार किया गया था।

बी.

13. हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या वादी में याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 19 के तहत समय के किसी भी अपवर्जन का अनुरोध किया है या नहीं। शिकायत 2016 की सिविल अपील संख्या 8442-8443 में अनुलग्नक पी/2 के रूप में दायर की गई है।वाद के अवलोकन से संकेत मिलता है कि धारा 19 के अनुसार सीमा की किसी भी नई अवधि को चलाकर सीमा के अपवाद के रूप में कोई अभिवचन नहीं है।पैराग्राफ 10 में, डिलीवरी चालान का विवरण दिया गया है, अंतिम चालान दिनांकित 04.10.1993 का उल्लेख किया गया है जिसके द्वारा आपूर्ति की गई थी।पैराग्राफ 12 में, प्राप्त भुगतानों के विवरण का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 05.03.1994 पर अंतिम भुगतान का उल्लेख किया गया है, लेकिन 05.03.1994 पर किए गए अंतिम भुगतान के लिए, उत्तरदाताओं की ओर से पावती का कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीमा की नई अवधि शुरू हो सकती है।पैराग्राफ 21 में आगे यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि अधिनियम, 1993 में निहित प्रावधानों को देखते हुए सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि अधिनियम, 1993 का सीमा अधिनियम और अन्य सभी अधिनियमों पर प्रबल प्रभाव है। अभियोग के अनुच्छेद 21 को तैयार संदर्भ के लिए संदर्भित किया गया हैः-

सी.

डी.

ई.

एफ.

“21. कि वादी और प्रतिवादी के बीच लेन-देन को वादी द्वारा लेखा पुस्तकों जैसे खाता बही, बिक्री रजिस्टर आदि में विधिवत बनाए रखा जाता है, जो वादी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में रखे जाते हैं और वादी और प्रतिवादी के बीच के खाते निरंतरता में हैं और प्रतिवादी द्वारा वादी को देय ब्याज आज तक जारी है।इस प्रकार वादी का मुकदमा समय के भीतर हो जाता है।इसके अलावा अधिनियम, 1993 में निहित प्रावधानों को देखते हुए सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि 1993 का अधिनियम सीमा अधिनियम और अन्य सभी अधिनियमों पर प्रबल प्रभाव डाल रहा है।”

जी.

14. वादी द्वारा सीमा की किसी भी नई अवधि की शुरुआत का दावा करने वाला कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं होने के कारण, प्रतिवादियों के लिए धारा 19 के संदर्भ में कोई जवाब देने का कोई अवसर नहीं था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा विद्वान है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः(i) जीवनलाल आचार्य बनाम।

रामेश्वरलाल अग्रवाल**,** ए**.** आई**.** आर**. 1967** एस**.** सी**. 1118,** और **(ii)** कमला देवी और अन्य बनाम पं**.** मणि लाल तिवारी और अन्य **(1976) 4** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

818. जीवनलाल आचार्य (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय को सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 20 पर विचार करने का अवसर मिला था, जो सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 को प्रस्तुत करने के समान थी।न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रही थी कि पोस्ट-डेटेड चेक की तारीख क्या होगी, क्या यह वह तारीख होगी जिस पर चेक होगा या सीमा की नई अवधि की शुरुआत की गणना करने के लिए चेक सौंपे जाने की तारीख होगी।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस तारीख को बैंक द्वारा भुगतान के अधीन पोस्ट-डेटेड चेक होता है, उसे सीमा की नई अवधि शुरू करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।निर्णय के पैराग्राफ 8 में, यह देखा गया कि धारा 20 के परंतुक का पालन किया जाएगा क्योंकि चेक स्वयं चेक देने वाले व्यक्ति की लिखावट में भुगतान की स्वीकृति है।फैसले का अनुच्छेद 8 इस प्रकार हैः-

सी.

डी.

“8. यह हमें सीमा के सवाल पर लाता है।तथ्य अब विवाद में नहीं हैं।वचन पत्र को 4 फरवरी, 1954 को निष्पादित किया गया था।उसी तारीख को प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा वादी-प्रत्यर्थी को 25 फरवरी, 1954 की तारीख वाला एक पोस्ट-डेटेड चेक दिया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि यह महसूस होने पर इसे आंशिक भुगतान के लिए जमा किया जाएगा।यह 25 फरवरी, 1954 के कुछ समय बाद महसूस किया गया था और आंशिक भुगतान के लिए श्रेय दिया गया था, अपीलार्थी ने स्वयं इस भाग के भुगतान को स्वीकार करते हुए एक समर्थन किया था।लेकिन अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि पोस्ट-डेटेड चेक 4 फरवरी, 1954 को दिया गया था, इसलिए यह उस तारीख को माना जाना चाहिए जिस पर आंशिक

भुगतान किया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 4 फरवरी, 1954 को पोस्ट-डेटेड चेक की स्वीकृति बिना शर्त स्वीकृति नहीं थी।जहां भुगतान के माध्यम से कोई बिल या नोट दिया जाता है, भुगतान पूर्ण या सशर्त हो सकता है, तो प्रबल धारणा सशर्त भुगतान के पक्ष में है।यह उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के बाद आया कि भुगतान सशर्त था यानी कि भुगतान जमा किया जाएगा ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

267

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.एएसएसएएम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

चेक का सम्मान होने की स्थिति में चेक देने वाले व्यक्ति को।वर्तमान मामले में चेक प्राप्त हो गया था और सवाल यह है कि सीमा अधिनियम की धारा 20 के उद्देश्य के लिए इस मामले की परिस्थितियों में भुगतान की तारीख क्या है। धारा 20 अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि जहां ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले ऋण के कारण भुगतान किया जाता है, वहां भुगतान किए जाने के समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी।जहां भुगतान चेक द्वारा किया जाता है और सशर्त होता है, केवल किसी विशेष तिथि पर चेक की डिलीवरी का मतलब यह नहीं है कि भुगतान उस तारीख को किया गया था, जब तक कि चेक को बिना शर्त भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।जहाँ चेक बिना शर्त भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, वहाँ इसे केवल सशर्त भुगतान के रूप में माना जा सकता है।ऐसे मामले में धारा 20 के प्रयोजनों के लिए भुगतान वह तारीख होगी जिस पर चेक वास्तव में जल्द से जल्द देय होगा, यह मानते हुए कि इसका सम्मान किया जाएगा।इस प्रकार यदि वर्तमान मामले में 4 फरवरी, 1954 को सौंपे गए चेक पर 4 फरवरी, 1954 की तारीख होती है और बैंक को प्रस्तुत करने पर सम्मानित किया जाता है, तो भुगतान 4 फरवरी, 1954 को किया गया होना चाहिए, अर्थात वह तारीख जब चेक दिया गया था।लेकिन यदि चेक वर्तमान मामले में पोस्ट-डेटेड है, तो यह स्पष्ट है कि इसका भुगतान 25 फरवरी, 1954 तक नहीं किया जा सका था, जो वह तारीख थी।चूंकि भुगतान सशर्त था, इसलिए यह तभी अच्छा होगा जब चेक 25 फरवरी, 1954 की तारीख को प्रस्तुत किया जाए और उसे सम्मानित किया जाए।इसलिए सबसे पहली तारीख जिस पर प्रत्यर्थी उस चेक को प्राप्त कर सकता था जो उसे 4 फरवरी, 1954 को सशर्त भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ था, 25 फरवरी, 1954 थी यदि वह उस तारीख को इसे प्रस्तुत

करता और इसे सम्मानित किया जाता।यह तथ्य कि उन्होंने इसे बाद में प्रस्तुत किया और फिर भुगतान किया गया, कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि यह सबसे शुरुआती तारीख है जिस पर भुगतान किया जा सकता है जो वह तारीख होगी जब एक पोस्ट-डेटेड चेक की सशर्त स्वीकृति सम्मानित होने पर वास्तविक भुगतान बन जाती है।इसलिए हमारी राय है कि चूंकि एक पोस्ट-डेटेड चेक 4 फरवरी, 1954 को दिया गया था और यह 25 फरवरी, 1954 को दिया गया था और चूंकि यह बिना शर्त स्वीकृति का मामला नहीं था, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 20 के उद्देश्य के लिए भुगतान 25 फरवरी, 1954 को ही हो सकता था जब भुगतान के लिए चेक जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जा सकता था।जैसा कि वर्तमान मामले में चेक था

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यह माना जाना चाहिए कि भुगतान 25 फरवरी, 1954 को किया गया था।यह विवाद में नहीं है कि इस मामले में धारा 20 के परंतुक का पालन किया जाता है, क्योंकि चेक स्वयं चेक देने वाले व्यक्ति की लिखावट में भुगतान की स्वीकृति है।इसलिए हमारी राय है कि सीमा की एक नई अवधि 25 फरवरी, 1954 को शुरू हुई, जो बाद की तारीख वाले चेक की तारीख थी जिसे अंततः सम्मानित किया गया था।"

बी.

15. उपरोक्त मामले में, वाद में ही यह देखा गया था कि हालाँकि वचन पत्र 04.02.1954 पर निष्पादित किया गया था और मुकदमा 22.04.1957 पर दायर किया गया था, लेकिन वादी ने समय के भीतर वाद लाने के लिए 25.02.1954 पर एक चेक के भुगतान पर भरोसा किया था।निर्णय का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

सी.

“पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में कानून के दो सवाल उठते हैं।उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्य और जो हमारे उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं, उनका संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है।4 फरवरी, 1954 को प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा वादी-प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित 10,000 रुपये के वचन पत्र के आधार पर धन की वसूली के लिए वादी-प्रतिवादी द्वारा दायर एक मुकदमे में अपीलार्थी प्रतिवादी था।12 प्रति प्रतिशत वार्षिक ब्याज वचन पत्र पर चलाया जाना था जो मांग पर या वादी-प्रत्यर्थी के आदेश पर देय था। यह मुकदमा 22 फरवरी, 1957 को दायर किया गया था और इस प्रकार स्पष्ट रूप से 4 फरवरी, 1954 से समय से परे था।वादी-प्रतिवादी ने समय के भीतर मुकदमा लाने के लिए 25 फरवरी, 1954 को चेक द्वारा भुगतान पर भरोसा किया।”16. जीवनलाल आचार्य (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले में यह नहीं कहा गया है कि सीमा की नई अवधि शुरू करने का दावा करने के लिए सभी तथ्यों का अनुरोध किए बिना भी, वादी धारा 19 के लाभ का हकदार है।श्री सिंघवी द्वारा भरोसा किया गया अगला निर्णय कमला देवी और अन्य (उपरोक्त) हैं, जिस मामले में, यह न्यायालय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 19 पर विचार कर रहा था।इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए भुगतान की स्वीकृति पर भरोसा किया कि आदेश की स्वीकृति की तारीख से सीमा की अवधि शुरू हो जाएगी।निर्णय के पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः-

डी.

ई.

एफ.

जी.

“4. अंतिम तर्क यह था कि व्यक्तिगत आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह सीमा द्वारा वर्जित था।इस तर्क का आधार यह है कि 25 रुपये का भुगतान, जो ए

एच.

269

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.एएसएसएएम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

पंजीकृत बंधक विलेख पर स्वीकार किया गया है, स्वयं एक पंजीकृत समर्थन द्वारा नहीं था और इसलिए, वादी केवल तीन साल की अवधि का हकदार था, भले ही धारा 19 सीमा का विस्तार दे।हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।धारा 19 का कार्य सीमा की अवधि को नए सिरे से गिनने के लिए बाद की तारीख प्रदान करना है, और उस सीमा की नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।कुछ भी नहीं पता चलता है कि पावती

स्वयं पंजीकृत है या नहीं।धारा 19 का कार्यालय गणना की सीमा की तारीख को स्थगित करना है और सीमा की एक अलग मूल अवधि नहीं बनाना है, बाद वाला सीमा अधिनियम के उपयुक्त अनुच्छेद पर निर्भर करता है जो मुकदमे पर लागू होता है।इस मामले में, बंधक दस्तावेज पंजीकृत किया गया था और व्यक्तिगत वाचा पंजीकृत विलेख में निहित थी।इसलिए, अनुच्छेद 116, जो छह साल की अवधि देता है, लागू होता है।इस प्रकार, सीमा की नई अवधि छह साल होगी और इसे स्वीकृति की तारीख, अर्थात् 31 अगस्त, 1940 से गिना जाना है।इस दृष्टिकोण में, सीमा की याचिका में भी कोई योग्यता नहीं है।यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जिसमें पुनरीक्षण न्यायालय अभिलेख पर एक स्पष्ट तथ्य से चूक गया था और इसलिए, अपने निर्णय की समीक्षा करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इसे उचित समझा।इस प्रकार न्याय को निराश होने के बजाय आगे बढ़ाया गया है।हम यहां कार्रवाई के कारण के रूप में विलेख पर समर्थन से चिंतित नहीं हैं।”

बी.

सी.

डी.

ई.

17. उपरोक्त निर्णय में धारा 19 के कार्य पर ध्यान दिया गया, जो सीमा की अवधि को नए सिरे से गिनने के लिए बाद की तारीख का प्रावधान करता है।उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वधारणा पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

एफ.

18. हम आदेश VII नियम 6 के परंतुक पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसे 1976 के अधिनियम 104 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें यह परंतुक किया गया है कि न्यायालय वादी को किसी भी आधार पर सीमा कानून से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकता है जो वाद में निर्धारित नहीं है, यदि ऐसा आधार वाद में निर्धारित आधारों के साथ असंगत नहीं है।आदेश VII नियम 6 का परंतुक वादी के बचाव में नहीं आ सकता है क्योंकि जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादी ने विशेष रूप से पैराग्राफ 21 में अनुरोध किया है कि सीमा अधिनियम के परंतुक लागू नहीं हैं क्योंकि अधिनियम, 1993 का प्रबल प्रभाव है।निचली विचारण न्यायालय ने वादी के मुकदमे का आदेश देते हुए उपरोक्त निवेदन को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि सीमा अधिनियम, 1963 लागू नहीं होता है।

जी.

एच.

19. हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि वाद का अनुच्छेद 24, जो वाद के लिए कार्रवाई का कारण का एक अनुच्छेद है, जो 31.03.1992 से 05.10.1993 तक की तारीख को संदर्भित करता है, यानी, पहले आपूर्ति आदेश से शुरुआत यानी, 31.03.1992 और अंतिम आपूर्ति आदेश की तारीख, यानी, 05.10.1993, लेकिन कार्रवाई का कारण उस तारीख से दावा नहीं किया जाता है जब 05.03.1994 थी, जो उस तारीख से थी जब याची द्वारा अंतिम भुगतान प्राप्त किया गया था।शिकायत में याची ने स्पष्ट रूप से धारा 19 के लाभ के लिए अनुरोध नहीं किया है और न ही अदालत को धारा 19 के तहत दावे पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक तथ्य लाए हैं। इस प्रकार, हमारा विचार है कि याची सीमा अधिनियम की धारा 19 के लाभ का हकदार नहीं है और इस न्यायालय के दिनांकित 23.01.2019 के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है जिसमें कहा गया है कि वादी का मुकदमा समय से बाधित था।

बी.

सी.

20. हम डॉ. सिंघवी की इस दलील के समर्थन में कुछ दलीलों पर भी ध्यान दे सकते हैं कि याची धारा 14 के लाभ का हकदार था।हमारे दिनांकित 23.01.2019 के फैसले में, हमने पहले ही यह विचार लिया है कि वादी द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिट याचिका, जो एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, अलग इकाई द्वारा दायर की गई थी।धारा 14 के लाभ के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा दिनांकित अपने निर्णय में विशेष रूप से विचार और अस्वीकार किए जाने के बाद, हम उपरोक्त आधार पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं पाते हैं।इसके अलावा, वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका को 28.08.1997 पर वादी द्वारा 10.01.1997 पर मुकदमा दायर करने के बाद खारिज कर दिया गया था।इसके अलावा, 28.08.1997 एसोसिएशन पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद उक्त फैसले को चुनौती देते हुए एक रिट अपील दायर की गई है, जो तथ्य सीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ को बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने से भी रोकते हैं। 21.जहां तक डॉ. सिंघवी की अन्य दलीलों का संबंध है कि अधिनियम, 1993 पूर्वव्यापी प्रकृति का है और अधिनियम के प्रारंभ के समय देय राशि पर अधिनियम, 1993 का ब्याज आकर्षित करना चाहिए, इन सभी दलीलों पर दिनांकित निर्णय में विस्तृत रूप से विचार किया गया है, जिन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया है।समीक्षा का दायरा सीमित है और समीक्षा की आड़ में, याची को उन प्रश्नों को फिर से हल करने और फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है।इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा के दायरे को दोहराया गया है।यह निर्णय को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त है

डी.

ई.

एफ.

जी.

पारसन देवी और अन्य न्यायालय सुमितरी देवी और

अन्य**, (1997) 8** एस**.** सी**.** सी**. 715,** जिसमें पैराग्राफ **9** में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है**:-** ए**.**

एच.

271

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.एएसएसएएम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

“9. आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला हो सकता है यदि रिकॉर्ड के सामने कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है।एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो न्यायालय को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की "पुनः सुनवाई और सुधार" की अनुमति नहीं है।एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”22. इस प्रकार, हम 2019 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 786-787 में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

बी.

सी.

2019 की समीक्षा याचिका **(**सी**) No.789**

23. समीक्षा याचिका के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने तर्क दिया कि फैसले के पैराग्राफ 85 में किए गए न्यायालय के अवलोकन में रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि स्पष्ट है।कुछ आपूर्ति अधिनियम, 1993 के प्रारंभ से पहले, यानी 23.09.1992 से पहले की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ आपूर्ति 23.09.1992 के बाद की गई थी, इसलिए याची अधिनियम, 1993 के तहत ब्याज के लाभ का हकदार था।वह प्रस्तुत करता है कि

आधार (बी) में, यह उल्लेख किया गया है कि 1996 के मनी सूट No.32 में पारित 30.09.2002 के फैसले में निचली विचारण न्यायालय द्वारा आपूर्ति के विवरण और संबंधित विवरणों के कारण पर ध्यान दिया गया है।2016 के सिविल अपील No.8450 के पृष्ठ-71 @पृष्ठ 88 पर अनुलग्नक-पी/3 का संदर्भ दिया गया है।हमने अनुलग्नक पी/3, निचली विचारण न्यायालय के दिनांक 30.09.2002 के फैसले को पढ़ा है, हमारा ध्यान फैसले के पृष्ठ 88 पर आमंत्रित किया गया है, जहां फैसले में 12 विधेयकों का संदर्भ दिया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

डी.

ई.

एफ.

जी.

"विशेष रूप से कहा गया है कि यह वादी का साक्ष्य है कि प्रतिवादियों को खंभों की आपूर्ति के खिलाफ, प्रतिवादियों से आदेश प्राप्त होने पर, वादी ने प्रतिवादियों को भुगतान के लिए कई बारह बिल प्रस्तुत किए जिन्हें दोहराया जाना चाहिएः

एच.

एस. एल. नहीं।	बिल नं.	तिथि	बिल की सकल राशि
1	बीसीपीआई/ 31/91/92	20.3.92	5, 02 रुपये, 545.92
2	बीसीपीआई/ 32/91/92	20.3.92	2, 99 रुपये, 541.65
3	बीसीपीआई/ 33/91/92	20.3.92	रु. 2,98,344.48
4	बीसीपीआई/ 3/92/93	7.4.92	4, 67 रुपये, 928.48
5	बीसीपीआई/ 11/92-93	8.6.92	रु. 1,08,806.45
6	बीसीपीआई/ 12/92-93	8.6.92	2, 48 रुपये, 459.90
7	बीसीपीआई/	29.9.92	Rs.17,729.50

	26/92-93		
8	बीसीपीआई/ 27/92-93	-	Rs.79,699.77
9	बीसीपीआई/ 28/92-93	-	रु. 1,81,497.98
10	बीसीपीआई/ 29/92-93	-	Rs.87,249.81
11	बीसीपीआई/ 30/92-93	-	Rs.12,782.45
12	5% प्रतिभूति जमा विधेयक	-	Rs.23,738.00
	कुल बकाया राशि		Rs.23,28,324. 39

बी.

सी.

24. निर्णय में दिए गए उपरोक्त चार्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि तारीख 29.09.1992 वादी द्वारा सामग्री की आपूर्ति के लिए भुगतान के लिए बिल की तारीख है। आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय में, हमने पाया था कि "इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कोई आपूर्ति की गई थी ताकि अपीलार्थी को अधिनियम, 1993 की धारा 4 सहपठित धारा 3 के तहत ब्याज का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के फैसले को इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

डी.

ई.

25. इस प्रकार, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि निर्णय के पैराग्राफ 85 में किए गए न्यायालय के अवलोकन में रिकॉर्ड के सामने त्रुटि स्पष्ट है, उक्त प्रस्तुतिकरण को खारिज कर दिया जाता है और 2019 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 789 को खारिज कर दिया जाता है।

एफ.

2019 की समीक्षा याचिका **(**सी**) No.788**

26. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसव एस. प्रभु पाटिल का तर्क है कि इस न्यायालय ने दिनांकित 23.01.2019 के फैसले में याची की अपील को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया है, जो रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट त्रुटि है।वह प्रस्तुत करता है कि याची द्वारा दायर अपील 2016 की सिविल अपील संख्या 8445 है जो उच्च न्यायालय के दिनांक 19.03.2013 के समीक्षा फैसले के खिलाफ है।27. श्री पाटिल प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 1 के निर्णय में, मुद्दा संख्या 6 को विशेष रूप से 2016 की सिविल अपील 2 की रखरखाव के संबंध में तैयार किया गया था।अपील की रखरखाव क्षमता ए थी

जी.

एच.

273

मेसर्स शांति कंडक्टर (पी) लिमिटेड v.एएसएसएएम

राज्य निर्वाचन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.] ए.

पैराग्राफ 80 में विशेष रूप से विचार किया गया और जवाब दिया गया। विवादित निर्णय के 81 और 82.श्री पाटिल का निवेदन है कि चूंकि 2016 की सिविल अपील उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ थी, जिसके द्वारा समीक्षा याचिका को आंशिक रूप से ब्याज 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमति देकर अनुमति दी गई थी, जिसके खिलाफ निर्णय, अपील बनाए रखने योग्य थी और याची द्वारा पहले की अपील को वापस लेना घातक नहीं था।अपीलार्थियों को दो आपूर्ति आदेश दिनांक 17.02.1992 और 17.03.1992 जारी किए गए थे।मुकदमा 16.05.1994 पर दायर किया गया था जिसमें ब्याज के साथ डिक्री की मांग की गई थी, जिसे निचली विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया।असम विद्युत बोर्ड ने पहली अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए बिलों को अधिनियम, 1993 के प्रारंभ से पहले असम विद्युत बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी, इसलिए अपीलार्थी अधिनियम, 1993 के लाभ का हकदार नहीं था।उच्च न्यायालय के दिनांक 05.04.2001 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को निम्नलिखित आदेश द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई थीः-

बी.

सी.

“याची के विद्वान वकील ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के लिए अनुमति मांगी है।वह कहता है कि वह समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा, यह कहते हुए कि उसने यह दर्ज करने में गलती की है कि "अधिनियम के प्रारंभ से पहले सभी बिलों का भुगतान किया गया था और उन्हें मंजूरी दी गई थी।" विशेष अनुमति याचिका को तदनुसार वापस लिए जाने के रूप में

खारिज कर दिया जाता है।”28. याची को विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति देने वाले इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले के बाद, एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसे आंशिक रूप से 19.03.2013 पर अनुमति दी गई थी।दिनांकित 19.03.2013 निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि जिन आधारों पर याची ने समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता की प्रार्थना की थी, वे समीक्षा याचिका में साबित नहीं हुए थे।उच्च न्यायालय ने समीक्षा निर्णय में याची के पक्ष में यह नहीं माना कि वह अधिनियम, 1993 के लाभ का हकदार था, बल्कि उच्च न्यायालय ने याची की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि वादी को धारा 34 सी. पी. सी., माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 61 या ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3 के तहत या केवल मूल राशि के आधार पर इक्विटी का दावा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय ने 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया।2016 की सिविल अपील संख्या 8445 समीक्षा निर्णय के खिलाफ दायर की गई है लेकिन जाहिर है कि अपील याची को दिए गए 9 प्रतिशत ब्याज के खिलाफ नहीं है।पुनरीक्षण निर्णय अधिनियम, 1993 के तहत ब्याज प्रदान नहीं करता है क्योंकि पुनरीक्षण निर्णय में उच्च न्यायालय ने पहले के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया कि याची अधिनियम, 1993 के तहत लाभ का हकदार नहीं है।जिस आधार पर स्वतंत्रता मांगी गई थी, उस आधार पर समीक्षा को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

इसका समीक्षा निर्णय।इसके अलावा, दिनांक 23.01.2019 के फैसले में, याची के खिलाफ अपील की स्थिरता पर विचार किया गया और पाया गया, हमें याचिका की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है।

29. परिणामस्वरूप, 2019 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 786-787,2019 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 789 और 2019 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 788 खारिज कर दी जाती हैं।

बी.

निधि जैन

पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.